

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/डीपीसी/ने.स/एफ-454/2025/283 दिनांक 19.09.25 के द्वारा निम्नलिखित नैत्र सहायक कार्मिकों का नैत्र सहायक ग्रेड-प्रथम (टीएसपी धौत्र) के पद पर पदोन्नति उपरान्त पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार रिक्त पद पर किया जाता है:-

क. सं.	कार्मिक का नाम	संवर्ग	जन्मतिथि	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदस्थापन स्थान
1	ईश्वर लाल दवे		20-07-79	श्री हरिदेव जोशी सामान्य चिकि. डूंगरपुर	जिला चिकि. रागवाडा डूंगरपुर
2	इन्द्रजीत भोई		16-04-95	सीएचसी डूंगरा छोटा, बांसवाडा	जिला चिकि. बांसवाडा

नोट:-

1-राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ07(1)/डीओपी/ए-II/95 दिनांक 20.06.2001 एवं दिनांक 19.09.17 के परिप्रेक्ष्य में उक्त पदोन्नत कार्मिकों के दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान उत्पन्न हुई हो तो उन कार्मिकों का कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.7(1) कार्मिक/क-2/95 पार्ट-जयपुर दिनांक 24.05.2023, दिनांक 16.03.23 एवं 27.03.23 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत पदोन्नत कार्मिकों को कार्यग्रहण कराया जाना है तथा इनके वेतन नियतन की कार्यवाही की जावेगी।

2-उक्त कार्मिकों को दिनांक 30.06.26 तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा अन्यथा उक्त आदेश निरस्त समझे जायेंगे।

3-नवीन पदस्थापन स्थान पर पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में भी कार्मिकों को संबंधित नियंत्रण अधिकारी कार्यग्रहण करावे तथा रिक्त पद व कार्यरत कार्मिक की सम्पूर्ण वस्तुस्थिति से जरिये ई. डाक अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावेंगे साथ ही पदोन्नत कार्मिकों के पदस्थापन पर कार्यग्रहण की सूचना से दिनांक 30.06.26 तक निदेशालय को जरिये ईमेल आईडी DMHSDPCNG104@GMAIL.COM पर अवगत करावे।

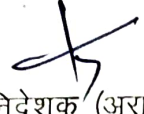
उपरोक्त शर्त संख्या 1 से 3 की पालना किये जाने का दायित्व कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाने वाले अधिकारी का होगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/ने.स.ग्रे-1/एफ-454/2026/200

दिनांक:- 16/6/26

- विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग, जयपुर।
- संबंधित प्रशासनिक एवं नियंत्रण अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
- संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
- आदेश/रक्षित पत्रावली।

()
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर